


अध्याय 2: वाणिज्यिक कर

2.1 कर प्रशासन

वाणिज्यिक कर विभाग शासन स्तर पर प्रमुख सचिव के द्वारा प्रशासित होता है। आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग का प्रमुख होता है, जिसकी सहायता हेतु चार अतिरिक्त आयुक्त (अति. आ.), 12 उपायुक्त (उ. आ.), 26 सहायक आयुक्त (स.आ.), 72 वाणिज्यिक कर अधिकारी (वा.क.अ.), 121 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी (स.वा.क.अ.), एवं 174 वाणिज्यिक कर निरीक्षक (वा.क.नि), जो कि छत्तीसगढ़ मूल्य सवर्धित कर (छ.ग.मु.सं.क.) अधिनियम, 2005 में निहित किये गये कार्यों के अनुसार कार्य करते हैं। उपरोक्त स्वीकृत पदों के विरुद्ध विभाग में नौ उ.आ., 19 स.आ., 67 वा.क.अ., 31 स.वा.क.अ. एवं 117 वा.क.नि. कार्यरत थे। इसके अतिरिक्त मुख्यालय में प्रवर्तन शाखा है जिसकी अध्यक्षता आयुक्त करते हैं, जिसमें एक संयुक्त आयुक्त, एक उ.आ., एक स.आ. और दो निरीक्षक जो आकस्मिक निरीक्षण करते हैं एवं कर की चोरी का पता लगाते हैं। रायपुर और बिलासपुर में दो क्षेत्रीय शाखायें हैं। विभाग का संगठनात्मक संरचना चार्ट 2.1 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.1: संगठनात्मक संरचना



वाणिज्यिक करों की प्राप्ति (30/06/2017 तक) निम्न प्रावधानों के अंतर्गत प्रशासित होती है:

- छत्तीसगढ़ मूल्य सवर्धित कर अधिनियम, 2005
- छत्तीसगढ़ मूल्य सवर्धित कर नियम, 2006
- केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956

- केन्द्रीय विक्रय कर (पंजीकरण एवं आवर्त) नियम, 1957
- छत्तीसगढ़ प्रवेश कर अधिनियम, 1976
- राज्य शासन एवं विभाग द्वारा समय समय पर जारी नियम, परिपत्र, छूट, अधिसूचनायें एवं निर्देश।

01 जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू किया गया और उक्त कर निम्न प्रावधानों के तहत प्रशासित है:

- छत्तीसगढ़ वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017
- छत्तीसगढ़ वस्तु एवं सेवा कर नियम, 2017

2.2 आंतरिक लेखापरीक्षा

विभाग ने नियोजित इकाईयों की संख्या, लेखापरीक्षा की गई इकाईयों की संख्या और आंतरिक लेखापरीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों को प्रस्तुत नहीं किया। हालांकि विभाग ने कहा (मई 2019) कि लेखापरीक्षा कार्य के सुचारू संचालन के लिए, राज्य शासन के निर्देश पर 10 चार्टर्ड अकाउंटेंट को अनुबंध पर रखा गया था। लेखापरीक्षा द्वारा देखा गया कि वाणिज्यिक कर विभाग में समर्पित आंतरिक लेखापरीक्षा इकाई (आं.ले.इ.) काम नहीं कर रहा था।

अनुशंसा:

शासन कर निर्धारण, उद्ग्रहण और सभी बकाया राजस्व के संग्रह की सुरक्षा के लिए एक आंतरिक लेखापरीक्षा इकाई का गठन करें।

2.3 लेखापरीक्षा परिणाम

वर्ष 2017-18 में लेखापरीक्षा द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग के कुल 55 इकाईयों में से 25¹ इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जाँच की गई जिसमें 24,043 (11,667 स्व-कर निर्धारण और कर निर्धारण प्रकरण 12,376) प्रकरणों में से 6,155 (3,123 स्व-कर निर्धारण और कर निर्धारण प्रकरण 3,032) प्रकरणों की जाँच 25 इकाईयों में की गई जो कि चुने गये इकाईयों के कुल प्रकरणों का 25.60 प्रतिशत था। वर्ष 2016-17 में विभाग द्वारा कुल ₹ 11,267.56 करोड़ का राजस्व अर्जित किया गया जिसमें से निरीक्षण किये गये इकाईयों द्वारा ₹ 5,503.05 करोड़ संग्रहण किया गया, जो कि कुल राजस्व का 48.84 प्रतिशत था। इसके अतिरिक्त जनवरी से अप्रैल 2019 के मध्य "वस्तु एवं सेवा कर में संक्रमण की तैयारी" पर एक कंडिका संकलित किया गया। लेखापरीक्षा द्वारा 491 प्रकरणों (181 स्व-कर निर्धारण और 310 कर निर्धारण प्रकरण) में राशि ₹ 79.60 करोड़ के अनियमिततायें पाई गई, जो कि तालिका 2.1 में निम्न श्रेणियों में वर्णित है:

¹ वा.क.अ.-1, रायगढ़; वा.क.अ.-1, रायपुर; वा.क.अ.-2, रायपुर; वा.क.अ.-3, रायपुर; वा.क.अ.-4, रायपुर; वा.क.अ.-5, रायपुर; वा.क.अ.-8, रायपुर; वा.क.अ.-9, रायपुर; वा.क.अ.-2, दुर्ग; वा.क.अ.-1, बिलासपुर; स.आ.-3, दुर्ग; उ.आ., सं-1, बिलासपुर; स.आ.-2, दुर्ग; स.आ.-5, रायपुर; स.आ., कोरबा; उ.आ., दुर्ग; स.आ.-1, दुर्ग; स.आ.-3, रायपुर; उ.आ. (मुख्यालय), रायपुर; वा.क.अ., राजनंदगाँव; स.आ.-1, वृत्त-9, रायपुर; स.आ.-4, रायपुर; स.आ., रायगढ़; वा.क.अ.-3, दुर्ग; स.आ., रायपुर (वृत्त-6,7 और 8)

तालिका 2.1: लेखापरीक्षा परिणाम

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	"वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में संक्रमण के लिए तैयारी" पर कंडिका	1	5.30
2.	कर का अवरोपण/अनारोपण	109	14.00
3.	छूट/कमी का गलत प्रदान किया जाना	73	23.20
4.	कर के गलत दर का अनुप्रयोग	25	11.12
5.	करयोग्य आवर्त का गलत निर्धारण	26	5.70
6.	अन्य अनियमिततायें ²	258	25.58
योग		492	84.90

विभाग द्वारा 39 प्रकरणों में राशि ₹ 1.50 करोड़ के अवनिर्धारण को स्वीकार करते हुए पाँच प्रकरणों में ₹ 14.71 लाख की वसूली की गई। शेष प्रकरणों में लेखापरीक्षा द्वारा विभाग से अनुशीलन किया जा रहा है।

वर्ष 2017-18 में सात प्रारूप कंडिकायें जिनमें 93 प्रकरणों में राशि ₹ 37.77 करोड़ सम्मिलित है, जारी किये जाने के उपरान्त विभाग द्वारा 49 प्रकरणों में राशि ₹ 10.34 करोड़ के अवनिर्धारण को स्वीकारते हुए 14 प्रकरणों में राशि ₹ 0.44 करोड़ की वसूली की गई।

2.4 पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुसरण

अवधि 2012-17 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में लेखापरीक्षा द्वारा 28 कंडिकाओं में राशि ₹ 54.83 करोड़ के विभिन्न आक्षेप लिये गये, जिसमें से विभाग द्वारा ₹ 12.68 करोड़ के आक्षेपों को स्वीकारते हुए ₹ 1.23 करोड़ की वसूली की गई।

लोक लेखा समिति द्वारा वर्ष 2002 से 2012 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के चर्चा हेतु 30 कंडिकाओं का चयन किया गया एवं समिति द्वारा वर्ष 2002-03, 2005-06 से 2007-08 और 2009-10 के 12 कंडिकाओं पर अनुशंसा प्रदान की गई। हालांकि वर्ष 2002-03, 2005-06 एवं 2006-07 की सिर्फ छः कंडिकाओं पर ही कार्रवाई टीप प्राप्त हुई है।

वर्ष 2007-08 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (कंडिका 2.4) पर लोक लेखा समिति द्वारा 26 मार्च 2015 (22वां प्रतिवेदन) में अपनी अनुशंसा देते हुए कहा कि जहाँ संदेहास्पद फॉर्म 'एफ' के आधार पर कर की छूट का दावा/प्रदान किया गया था, विभाग तत्काल कर की वसूली करे। आगे, वर्ष 2009-10 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (कंडिका 2.15.2) पर लोक लेखा समिति द्वारा 4 जनवरी 2018 (57वीं प्रतिवेदन) में अपनी अनुशंसा में कहा गया कि विभाग नारियल तेल में कर पर स्पष्ट निर्देश जारी करें ताकि भ्रम से बचा जा सके और तत्काल कर की वसूली करें। हालांकि विभाग द्वारा लोक लेखा समिति के दोनों कंडिकाओं में अनुशंसा का अनुपालन नहीं किया गया (जुलाई 2019)।

अनुशंसा:

विभाग पहले के वर्षों के प्रकरणों पर वसूली में तेजी लायें और लोक लेखा समिति द्वारा दी गई अनुशंसाओं का अनुपालन सुनिश्चित करें।

² अधिक/अस्वीकार्य आगत कर की छूट; आवर्त में क्रेडिट नोट या छूट प्राप्त को सम्मिलित न किया जाना, श्रम घटक का सम्मिलित न किया जाना, इत्यादि के आक्षेप, अन्य अनियमितताओं में सम्मिलित है।

2.5 वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में संक्रमण के लिए तैयारी

2.5.1 प्रस्तावना

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी), वस्तुओं एवं सेवाओं पर पूरे देश में एक एकीकृत अप्रत्यक्ष कर³ 01 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। जीएसटी को केन्द्र (सीजीएसटी) और राज्यों (एसजीएसटी)/केन्द्र शासित प्रदेशों (यूटीजीएसटी) दोनों द्वारा एक साथ कर योग्य घटना अर्थात् वस्तु एवं सेवा की आपूर्ति (मानव उपभोग के लिए शराब और पाँच निर्दिष्ट पेट्रोलियम उत्पादों⁴ को छोड़कर) पर लगाया जाता है। आगे, एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) अंतर-राज्य वस्तु या सेवा (आयात समेत) की आपूर्ति पर लगाया जाता है और केन्द्र को आईजीएसटी लगाने का एकाधिकार है। जीएसटी लागू होने से पहले, मूल्य सवर्धित कर (वैट), वस्तु की राज्य के अंदर बिक्री पर छत्तीसगढ़ मूल्य सवर्धित कर अधिनियम, 2005 और केन्द्रीय बिक्री कर (सीएसटी) को वस्तुओं के अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य पर सीएसटी अधिनियम, 1956 के अनुसार लगाया जाता था।

वस्तु एवं सेवा कर परिषद (जीएसटीसी), जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 279-अ के तहत गठन किया गया था, की सिफारिश पर केन्द्र, राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा जीएसटी से संबंधित प्रावधानों को विनियमित किया जाता है, जिसमें केन्द्र और सभी राज्यों से प्रतिनिधित्व शामिल है। राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 और छत्तीसगढ़ वस्तु एवं सेवा कर नियम, 2017 को अधिसूचित किया (जून 2017) और 01 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू किया।

वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) एक निजी कंपनी के रूप में भारत सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी सेवायें प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया। यह करदाताओं को पंजीकरण, कर का भुगतान और रिटर्न दाखिल करने के लिए फ्रंट-एंड आईटी सेवायें प्रदान करता है। बैक-एंड आईटी सेवायें जैसे पंजीकरण अनुमोदन, करदाता विवरण व्यूअर, धनवापसी प्रसंस्करण, प्रबंधन सूचना प्रणाली रिपोर्ट (एम.आई.एस.) आदि मॉडल-2⁵ राज्यों को भी जीएसटीएन द्वारा प्रदान किया जाता है। छत्तीसगढ़ ने जीएसटी कार्यान्वयन के लिए मॉडल-2 चुना।

2.5.2 कानूनी/वैधानिक तैयारी

राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 और छत्तीसगढ़ वस्तु एवं सेवा कर नियम, 2017 को अधिसूचित (जून 2017) किया। राज्य में 01 अप्रैल 2018 से अंतरराज्यीय लेनदेन और 01 जून 2018 से राज्य के अंदर लेनदेन पर ई-वे बिल⁶ प्रणाली लागू की गई। छत्तीसगढ़ शासन/राज्य कर विभाग द्वारा जीएसटी की

³ केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर जैसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, औषधीय और शौचालय तैयारी अधिनियम के तहत लगाये गए उत्पाद शुल्क, सेवा कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क (सी.वी.डी.), सीमा शुल्क का विशेष अतिरिक्त शुल्क (एस.ए.डी.), राज्य अप्रत्यक्ष कर जैसे मूल्य सवर्धित कर, केंद्रीय बिक्री कर, प्रवेश कर, मनोरंजन कर एवं क्रय कर

⁴ पेट्रोलियम उत्पाद: कच्चा तेल, उच्च गति डीजल, पेट्रोल, विमानन टरबाइन ईंधन और प्राकृतिक गैस

⁵ मॉडल-2 राज्य के मामले में जीएसटीएन द्वारा फ्रंट-एंड एवं बैक-एंड दोनों सेवायें प्रदान की जाती हैं, जबकि मॉडल-1 राज्य के मामले में केवल फ्रंट-एंड सेवायें जीएसटीएन द्वारा प्रदान की जाती हैं।

⁶ यह एक अनूठा दस्तावेज/बिल है, जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर या तो अंतर-राज्य या राज्य के भीतर ₹ 50,000 से अधिक मूल्य के माल की विशिष्ट खेप/आवाजाही के लिए उत्पन्न होता है।

क्रियान्वयन की सुविधा के लिए जीएसटी से संबंधित 254 अधिसूचना/परिपत्र/आदेश जून 2017 से मार्च 2019 तक जारी किए गये।

2.5.3 सूचना प्रौद्योगिकी तैयारी और क्षमता निर्माण के प्रयास

जीएसटीएन करदाताओं को पंजीकरण, कर का भुगतान और रिटर्न दाखिल करने के लिए तीन फ्रंट-एंड सेवायें प्रदान करता है। जीएसटी कार्यान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ ने मॉडल-2 को चुना, इसलिए पंजीकरण अनुमोदन, करदाता विवरण व्यूअर, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग प्रोसेसिंग, रिफंड प्रोसेसिंग, एम.आई.एस रिपोर्ट इत्यादि जैसे बैक-एंड एप्लिकेशन जीएसटी प्रशासन के लिए जीएसटीएन द्वारा विकसित और रखरखाव किए जा रहे हैं। राज्य को बैक-एंड एप्लिकेशन की पहुंच राज्य डेटा केंद्र पर मल्टी-प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग कनेक्टिविटी के माध्यम से उपलब्ध था।

विभाग ने 2016-17 के दौरान पाँच चरणों में क्षमता निर्माण का आयोजन किया था। प्रारंभिक चरण में, अतिरिक्त आयुक्त के स्तर तक के 10 अधिकारियों को रूचि एवं कम्प्युटर ज्ञान के आधार पर मुख्य प्रशिक्षक के रूप में नेशनल अकादमी ऑफ कस्टम्स, एक्सआईएच एंड नॉरकोटिक्स (एनएसीईएन), फरीदाबाद में "जीएसटी कानूनों पर विशेष प्रशिक्षण" के लिए चुना गया। आगे, इन्फोसिस चेन्नई में सूचना प्रौद्योगिकी पर "जीएसटी पोर्टल पर मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण" में 49 अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा भाग लिया गया। 960 कार्यबल में से, 861 अधिकारियों/कर्मचारियों को मास्टर प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षित किया गया था जैसा कि तालिका 2.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.2: अधिकारियों/कर्मचारियों को दिया गया प्रशिक्षण

स. क्र.	पद	प्रतिभागियों की संख्या
1.	संभागीय उपायुक्त	7
2.	सहायक आयुक्त	16
3.	वाणिज्यिक कर अधिकारी	53
4.	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी	46
5.	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	100
6.	अन्य कर्मचारी	639
योग		861

(स्रोत: विभाग द्वारा प्रदायित जानकारी)

इसके अलावा, विभाग ने डीलरों को जीएसटी के प्रावधानों के बारे में जागरूकता लाने के लिए 1,200 से अधिक कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया। विभाग ने विभागीय वेबसाइट 'comtax.cg.nic.in' पर पाँच जीएसटी टैब्स (जीएसटी, जीएसटी अधिनियम, जीएसटी अधिसूचना, जीएसटी नियम और जीएसटी आदेश) शुरू किए। प्रत्येक कार्यालय में जीएसटी सहायता डेस्क की स्थापना की गई और करदाताओं को उनकी समस्याओं/प्रश्नों को हल करने में सुविधा के लिए एक टोल फ्री जीएसटी हेल्पलाइन नंबर भी प्रदान किया गया था।

2.5.4 करदाताओं का पंजीकरण

(अ) डीलर माइग्रेशन

छ.ग.मू.सं.क. अधिनियम, 2005 के तहत जो डीलर पंजीकृत थे, उन्हें छत्तीसगढ़ जीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 139 के तहत अनंतिम रूप से पंजीकृत होना आवश्यक था, यदि उनके पास वैद्य पैन नंबर था। विभाग द्वारा सभी आवश्यक सूचनाओं और दस्तावेजों के सत्यापन के बाद, पंजीकरण प्रमाणपत्र छत्तीसगढ़ जीएसटी अधिनियम 2017, के तहत प्रत्येक डीलरों को दिया जाना था।

छ.ग.मू.सं.क. से छत्तीसगढ़ जीएसटी में माईग्रेशन पूर्ण करने का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा 30 जून 2017 रखी गई थी। हालांकि, छत्तीसगढ़ में प्राथमिक दौर में कुछ तकनीकी खराबी के कारण करदाता पंजीकरण नवम्बर 2016 से शुरू हुआ और लक्ष्य को दो मौकों पर संशोधित कर अंतिम रूप से 28 फरवरी 2019 तक बढ़ा दिया गया। 28 फरवरी 2019 तक, विभाग केवल 71.24 प्रतिशत (1,22,114 में से 86,990) डीलरों को पंजीकृत कर पाया।

31 मार्च 2019 तक विभाग में मौजूदा पंजीकृत करदाताओं के अनंतिम पंजीकरण और अंतिम पंजीकरण की स्थिति तालिका 2.3 में दर्शायी गई है।

तालिका 2.3: डीलर पंजीकरण की स्थिति

वैध पैन के साथ पूर्व-जीएसटी कानूनों के तहत पंजीकृत डीलरों की कुल संख्या	जीएसटीएन से प्राप्त अनंतिम आईडी की कुल संख्या (कॉलम-1 के आधार पर प्रतिशत)	प्राथमिक रूप से नामांकित डीलरों की संख्या (कॉलम-1 के आधार पर प्रतिशत)	राज्य को आवंटित डीलरों की संख्या (कॉलम-1 के आधार पर प्रतिशत)	पूर्ण नामांकन की संख्या (कॉलम-1 के आधार पर प्रतिशत)	सर्कल स्तर पर रद्द करने के बाद सक्रिय माईग्रेटेड करदाता (कॉलम-1 के आधार पर प्रतिशत)
1,22,114	1,10,033 (90.11 प्रतिशत)	1,07,773 (88.26 प्रतिशत)	91,547 (74.97 प्रतिशत)	86,990 (71.24 प्रतिशत)	74,148 (60.72 प्रतिशत)

(स्रोत: राज्य कर विभाग द्वारा प्रदायित जानकारी)

उपरोक्त तालिका इंगित करती है कि लगभग 29 प्रतिशत डीलर अभी तक जीएसटी के तहत पंजीकृत नहीं हुए हैं।

• केन्द्र और राज्य के बीच करदाताओं का आवंटन

31 मार्च 2019 तक, छत्तीसगढ़ में जीएसटी के अंतर्गत 1,07,773 कर भुगतान करने वाले डीलर थे। केन्द्र और छत्तीसगढ़ के बीच करदाताओं का आवंटन जीएसटी परिषद द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 20 सितम्बर 2017 के अनुसार किया जाना था।

करदाताओं के आवंटन के लिए जीएसटी परिषद द्वारा निर्धारित मानदंड निम्न अनुसार थे:

- ₹ 1.50 करोड़ से कम टर्नओवर वाले करदाताओं के 90 प्रतिशत करदाताओं पर सभी प्रशासनिक नियंत्रण राज्य कर प्रशासन का एवं 10 प्रतिशत करदाताओं पर केन्द्रीय कर प्रशासन का होगा;
- ₹ 1.50 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले करदाताओं के संबंध में, सभी प्रशासनिक नियंत्रण केन्द्र और राज्य कर प्रशासन 50 प्रतिशत के समानुपात में प्रत्येक को विभाजित किया जाएगा; एवं
- प्रत्येक राज्य में करदाताओं का विभाजन कम्प्यूटर द्वारा स्तरीकृत यादृच्छिक नमूने के आधार पर किया जाएगा और करदाताओं की भौगोलिक स्थिति और प्रकार को भी ध्यान में रखते हुए आपसी सहमति के अनुसार होगा।

तदनुसार, केन्द्रीय जीएसटी और राज्य जीएसटी के प्रतिनिधियों से युक्त एक समिति ने करदाताओं को 16 नवम्बर 2017 से 01 मार्च 2019 के दौरान छः चरणों में अपने बीच आवंटित किया। राज्य कर विभाग को 91,547 मौजूदा पंजीकृत करदाताओं का अधिकार क्षेत्र आवंटित किया गया, जैसा कि तालिका 2.4 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.4: मौजूदा पंजीकृत करदाताओं का आवंटन

	मौजूदा पंजीकृत करदाता		योग
	1.5 करोड़ से अधिक टर्नओवर	1.5 करोड़ से कम टर्नओवर	
राज्य	6,769	84,778	91,547
केन्द्र	6,765	9,461	16,226
योग	13,534	94,239	1,07,773

(स्रोत: राज्य कर विभाग द्वारा प्रदायित जानकारी)

(ब) नये करदाताओं का पंजीकरण

छत्तीसगढ़ जीएसटी नियम, 2017 के नियम 9 के अनुसार, जीएसटी के तहत नये डीलरों का पंजीकरण आवेदन प्राप्त होने के तीन कार्य दिवस के भीतर किया जाना था। जीएसटी के तहत डीलरों के नये पंजीकरण 31 मार्च 2019 की स्थिति, तालिका 2.5 में दर्शायी गई है:

तालिका 2.5: नये करदाताओं का पंजीकरण

31 मार्च 2019 तक प्राप्त आवेदन	खारिज किये गए आवेदनों की संख्या	स्वीकृत आवेदनों की संख्या	पंजीकरण के लिए लंबित आवेदनों की संख्या
86,179	9,937	75,770 (87.92 प्रतिशत)	472

(स्रोत: राज्य कर विभाग द्वारा प्रदायित जानकारी)

उपरोक्त तालिका इंगित करती है कि विभिन्न आधारों पर 11.53 प्रतिशत आवेदन खारिज किये गए।

472 लंबित आवेदनों के बारे में शासन ने कहा (जुलाई 2019) कि ये नये आवेदन थे, जिनका तीन कार्य दिवस में निराकरण किया गया।

2.5.5 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा द्वारा संक्रमणकालीन क्रेडिट और वापसी से संबंधित जो अनियमिततायें पायी गई, उनका विवरण निम्नानुसार है:

2.5.5.1 संक्रमणकालीन क्रेडिट

छत्तीसगढ़ जीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 140 सहपठित छत्तीसगढ़ जीएसटी नियम, 2017 के नियम 117 के अनुसार पंजीकृत करदाता:

- जीएसटी काल में आगत कर क्रेडिट (आईटीसी) के रूप में पूर्व जीएसटी काल (2017-18 की प्रथम तिमाही) के आगत कर छूट (आईटीआर) की अप्रयुक्त राशि को आगे बढ़ाने और दावा करने के हकदार थे;
- वैट रिटर्न में पूँजीगत वस्तुओं के संबंध में अप्रयुक्त आईटीआर का दावा करने के हकदार; और
- स्टॉक में रखे गए आगत और स्टॉक में अर्द्ध-तैयार या तैयार वस्तु में निहित आगत के संबंध में वैट का संक्रमणकालीन क्रेडिट लेने के हकदार, जिस पर पूर्व-जीएसटी काल में क्रेडिट का दावा नहीं किया गया था और करदाता ऐसे आगत पर आईटीसी के पात्र है।

पंजीकृत करदाताओं को निर्धारित प्रपत्र ट्रान-1⁷ में रिटर्न दाखिल करना था। हालांकि, करदाता जीएसटी के तहत संक्रमणकालीन क्रेडिट का दावा करने के लिए पात्र नहीं होंगे जब तक कि वे पूर्व-जीएसटी कानून के तहत छः महीने की अवधि (जनवरी से जून 2017) 01 जुलाई 2017 से ठीक पहले के तिमाही रिटर्न नहीं देते।

संक्रमणकालीन क्रेडिट आंकड़ों की जाँच में पाया गया है कि 3,335 करदाताओं ने एसजीएसटी के रूप में ₹ 285.13 करोड़ संक्रमणकालीन क्रेडिट का दावा किया। कुल 3,335 संक्रमणकालीन क्रेडिट मामलों में से विभाग ने सभी सर्कल में 222 संक्रमणकालीन क्रेडिट मामलों की जाँच की सात चयनित सर्कल में लेखापरीक्षा ने 58 मामलों की जाँच की जिनकी जाँच विभाग द्वारा पूर्व में की जा चुकी थी एवं कोई अनियमितता नहीं पाई गई। इन सर्कलों के शेष 709 मामलों में से 166 मामलों (23 प्रतिशत) की जाँच की गई, जो विभाग द्वारा सत्यापित नहीं किए गए एवं अनियमिततायें पाई गई जो कि तालिका 2.6 एवं आगामी कंडिकाओं में दर्शाया गया है:

तालिका 2.6 संक्रमणकालीन क्रेडिट की जाँच

संक्रमणकालीन क्रेडिट प्रकरणों की कुल संख्या: 3,335		
सात चयनित सर्कलों ⁸ में संक्रमणकालीन क्रेडिट प्रकरणों की संख्या: 767		
	विभाग द्वारा सत्यापित किया गया	विभाग द्वारा सत्यापित नहीं किया गया
सात चयनित सर्कलों में प्रकरण	58 प्रकरण	709 प्रकरण
लेखापरीक्षा द्वारा किए गये जाँच प्रकरण	58 प्रकरण (100 प्रतिशत)	166 प्रकरण (23 प्रतिशत)
लेखापरीक्षा परिणाम	कोई अनियमिततायें नहीं देखी गई	₹ 5.30 करोड़ मूल्य के 45 प्रकरणों (27 प्रतिशत) में अनियमिततायें देखी गई।

देखे गए अनियमितताओं का विवरण (परिशिष्ट 2.1) निम्नानुसार है:

- 2017-18 के प्रथम तिमाही रिटर्न में 17 करदाताओं का कोई क्रेडिट बैलेंस (शून्य) नहीं था, लेकिन गलत तरीके से आईटीसी ₹ 1.59 करोड़ का दावा किया गया;
- आठ करदाताओं द्वारा ₹ 34.21 लाख का आईटीसी, 2017-18 की पहली तिमाही में दर्शाई गयी आईटीआर से अधिक दावा किया गया;
- चार करदाताओं द्वारा वैट रिटर्न में नकारात्मक शेष राशि के एवज में ₹ 77.19 लाख के क्रेडिट का दावा किया गया;
- 15 करदाताओं द्वारा पिछले छः महीनों (2016-17 की चौथी तिमाही या 2017-18 की प्रथम तिमाही) के लिए तिमाही रिटर्न जमा नहीं किया गया था, लेकिन अनियमित रूप से ₹ 2.40 करोड़ के आईटीसी का दावा किया गया; एवं
- एक करदाता जो जीएसटी के पूर्व के दौरान वैट, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर में पंजीकृत नहीं था, ने अनियमित रूप से ट्रान-1 के माध्यम से ₹ 19.60 लाख आईटीसी दावा किया।

⁷ ट्रान-1 को क्लोजिंग स्टॉक पर आगत कर क्रेडिट वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा दायर किया जाना चाहिए जो वैट, सेवा कर अथवा केंद्रीय उत्पाद से जीएसटी में माईग्रेट हुए हैं। जीएसटी व्यवस्था में पुराने स्टॉक पर आईटीसी का दावा करने के लिए 01 जुलाई 2017 को आयोजित क्लोजिंग स्टॉक की शेष राशि का ट्रान-1 में खुलासा किया जाना चाहिए।

⁸ वृत्त-2, दुर्ग; वृत्त-2, जगदलपुर; वृत्त-1, कोरबा; वृत्त मनेन्द्रगढ़; वृत्त-1.5 एवं 8, रायपुर।

उपरोक्त विचलन निम्नलिखित कारणों से थे:

- विभाग एवं जीएसटीएन द्वारा वैट से जीएसटी प्रणाली की विरासत डाटा के गैर-प्रवास के फलस्वरूप संक्रमणकालीन क्रेडिट शेष के डाटा में प्रत्यक्ष बेमेल रहा जो विभिन्न डीलरों को हेरफेर कर अनियमित संक्रमणकालीन क्रेडिट का दावा करने में सहायक रही।
- विभाग ने वैट विवरण के साथ संक्रमणकालीन क्रेडिट प्रकरणों को सत्यापित नहीं किया, हालांकि यह एक बार का महत्वपूर्ण कार्य था।

शासन द्वारा उत्तर (जुलाई 2019) में कहा गया कि 41 डीलरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, तीन डीलरों को माँग पत्र जारी किया गया और एक प्रकरण में डीलर ने 2016-17 का वार्षिक रिटर्न और 2017-18 का पहला तिमाही रिटर्न जमा किया था।

शासन का उत्तर इंगित करता है कि वैट से जीएसटी के लिए विरासत डाटा का गैर-प्रवासन और विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रासंगिक रिकार्ड के गैर-सत्यापन से पहले संक्रमणकालीन क्रेडिट की स्वीकार्यता के कारण परिहार्य राजस्व हानि हुई।

अनुशंसा:

विभाग सभी संक्रमणकालीन क्रेडिट प्रकरणों की जाँच करें और संबंधित डीलरों के अंतिम मूल्यांकन करते समय राजस्व की वसूली के लिए उचित कार्रवाई करें।

2.5.5.2 जीएसटी के अंतर्गत वापसी

छत्तीसगढ़ जीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 54 सहपठित धारा 56 में किसी निश्चित कर अवधि के अंत में इलेक्ट्रॉनिक नकद बहीखाता या अप्रयुक्त आईटीसी में शेष राशि की वापसी का प्रावधान है। इसके अलावा, वापसी का भुगतान डीलर को आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर किया जाना है, अन्यथा शासन ऐसे प्रकरणों में प्रति वर्ष छः प्रतिशत की दर से करदाताओं को ब्याज के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा।

विभाग द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार 1,620 प्रकरणों में ₹ 168.62 करोड़ की धन राशि की वापसी की अनुमति दी गयी। लेखापरीक्षा द्वारा सात जीएसटी वृत्तों में ₹ 3.59 करोड़ के सभी 321 वापसी प्रकरणों की जाँच की गयी और 130 प्रकरणों में देखा गया कि विभाग ने पाँच से 471 दिनों के देरी के साथ ₹ 29.30 लाख की वापसी की। किसी भी प्रकरण में आवेदको को ब्याज का भुगतान नहीं किया।

2.5.6 निष्कर्ष

शासन ने अधिनियम, नियमों और क्षमता निर्माण के प्रतिफल के साथ जीएसटी कार्यान्वयन के लिए अपनी तैयारियों में पर्याप्त कदम उठाए हैं हालांकि कुछ धूसर क्षेत्र की मौजूदगी जारी है, जैसा कि पहले इंगित किया गया है।

मूल्य संवर्धित कर

2.6 कर का अवरोपण

मूल्य संवर्धित कर की अल्प दर के अनुप्रयोग से कर की राशि ₹ 3.26 करोड़ एवं शास्ति ₹ 6.51 करोड़ का अवरोपण।

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम (छ.ग.मू.सं.क.अ.) 2005, प्रावधानित करता है कि इनमें संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट दर से कर आरोपणीय है।

लेखापरीक्षा द्वारा, कुल निर्धारण अभिलेखों 10,138 (स्व-कर निर्धारण प्रकरण 5,524 एवं कर निर्धारण प्रकरण 4,614) में से 2,043 (1,038 स्व-कर निर्धारण प्रकरण एवं 1,005 कर निर्धारण प्रकरण) अर्थात् सात⁹ इकाईयों के कुल प्रकरणों के 20.15 प्रतिशत में से 11 व्यवसायियों के 12 प्रकरणों (तीन स्व-कर निर्धारण प्रकरण एवं नौ कर निर्धारण प्रकरण) अर्थात् नमूना जाँच किये गये प्रकरणों का 0.59 प्रतिशत में लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया कि पाँच प्रतिशत तथा 12.5/14 प्रतिशत के स्थान पर शून्य एवं पाँच प्रतिशत का गलत दर लगाया गया। निर्धारण प्राधिकारी (नि.प्रा.) कर निर्धारण प्रकरणों में भी माल पर गलत दर की जाँच करने में विफल रहे और कम कर दर लागू किया अथवा कर का कोई दर आरोपित नहीं किया गया। तथापि लेखापरीक्षा द्वारा रिटर्न में संलग्न दस्तावेजों (विक्रय/खरीद विवरण) की जाँच में पाया गया कि इन मालों¹⁰ पर पाँच अथवा 12.5/14 प्रतिशत के दर से कर आरोपणीय था। फलस्वरूप, कर की राशि ₹ 3.26 करोड़ एवं शास्ति ₹ 6.51 करोड़ का अवरोपण हुआ।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि विभाग द्वारा मू.सं.क. के करारोपण एवं कर निर्धारण के लिए CGCOMTAX सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली का उपयोग किया जा रहा था, तथापि इस प्रणाली में प्रत्येक वस्तु/माल को कर की दर के साथ कोडिंग का प्रावधान नहीं था जिसे डीलर इन्द्रांज कर सके। डीलरों द्वारा वस्तु/माल पर लागू की जा रही दर के सत्यापन हेतु कोई प्रणाली के अभाव में, निर्धारण प्राधिकारी द्वारा त्रुटि नहीं पकड़े जाने के मामले वर्ष दर वर्ष घटित हो रहे हैं, जिसके फलस्वरूप कर के कम दर का रोपण/भुगतान हुआ।

लेखापरीक्षा द्वारा (फरवरी 2019) इंगित किए जाने पर विभाग ने (मार्च 2019) कहा कि तीन प्रकरणों में ₹ 18.60 लाख कर की वसूली की गई तथा सात प्रकरणों में ₹ 4.29 करोड़ कर की माँग जारी की गई। शेष प्रकरणों में आगे की कार्यवाही के संबंध में विभाग से उत्तर अप्राप्त (अगस्त 2019) है।

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कड़िका 3.5 में भी समान अनियमिततायें दर्शायी गयी थी जिसमें लेखापरीक्षा द्वारा विभाग को अपने कर निर्धारण प्राधिकारियों की विफलता का सतर्कता पूर्वक पता लगाकर उचित कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई थी। परन्तु उपरोक्त अनियमिततायें निरंतर बनी हुई थी एवं लेखापरीक्षा किए जाने तक पकड़ी नहीं गयी।

केन्द्रीय विक्रय कर

2.7 घोषणा पत्रों के अभाव में केन्द्रीय विक्रय कर (के.वि.क.) अधिनियम के अंतर्गत कर का रियायती दर से मान्य किया जाना

निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा बगैर घोषणा पत्र फॉर्म 'सी' के रियायती दर पर कर मान्य किए जाने के कारण के.वि.क. की राशि ₹ 6.40 करोड़ का अवरोपण

के.वि.क. अधिनियम, 1956 प्रावधानित करती है कि वस्तुओं के अंतर्राज्यीय विक्रय, घोषणा पत्र 'सी' फॉर्म समर्थित होने पर जून 2008 से आवर्त पर दो प्रतिशत या संबंधित राज्य में लागू कर की दर, जो भी कम हो, का करारोपण किया जाएगा। फॉर्म 'सी' के अभाव में व्यवसायी छ.ग.मू.सं.क. अधिनियम, 2005 में प्रावधानित दर पर कर का दायी होगा।

⁹ स.आ.-4, रायपुर; वा.क.अ.-4, रायपुर; वा.क.अ.-2, दुर्ग; वा.क.अ.-5, रायपुर; वा.क.अ.-9, रायपुर; वा.क.अ.-3, दुर्ग एवं स.आ.-5, रायपुर।

¹⁰ आइरन पैलेट्स; पैनल बोर्ड्स; डिजिटल कैमरा; एल्यूमीनियम कोम्पोजीट पैनल शीट; डीटीएच सेट अप बाक्स; टायर ऑइल; स्किम्ड मिल्क पाउडर; महुआ केक एवं टोस्ट।

लेखापरीक्षा के दौरान, कुल 7,278 प्रकरणों (स्व-कर निर्धारण प्रकरण 3,225 एवं कर निर्धारण प्रकरण 4,053) में से 1,583 प्रकरणों (स्व-कर निर्धारण प्रकरण 923 एवं कर निर्धारण प्रकरण 660) अर्थात् आठ¹¹ इकाईयों के कुल प्रकरणों के 21.75 प्रतिशत में से 32 व्यवसायियों के 34 स्व-कर निर्धारण प्रकरणों अर्थात् नमूना जाँच किये गये प्रकरणों का 2.15 प्रतिशत में लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया कि अंतर्राज्यीय विक्रय ₹ 195.81 करोड़ के समर्थन में कोई 'सी' फॉर्म प्रस्तुत नहीं किया गया। 'सी' फॉर्म के अभाव में व्यवसायियों को चार/पाँच अथवा 14 प्रतिशत की दर से कर का भुगतान किया जाना था। अंतर्राज्यीय विक्रय 'सी' फॉर्म असमर्थित होने से कर निर्धारण प्राधिकारियों को नियम के अनुसार करारोपण करना था। परन्तु, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, के अंतर्गत सभी व्यवसायियों द्वारा रियायती दर एक/दो प्रतिशत पर कर का लाभ उठाने के फलस्वरूप, केन्द्रीय विक्रय कर की राशि ₹ 6.40 करोड़ की कम वसूली हुई। इस प्रकार, वैधानिक विवरणियों की संपूर्णता की जाँच जो विभागीय परिपत्र (नवम्बर 2012) के अनुसार अनिवार्य था, करने में निर्धारण प्राधिकारी विफल रहे।

लेखापरीक्षा द्वारा (फरवरी 2019) इंगित किए जाने पर विभाग ने कहा (मार्च 2019) कि 15 प्रकरणों में कर की राशि ₹ 36.16 लाख की माँग जारी की गई। अन्य प्रकरणों में आगे की कार्रवाई अपेक्षित (अगस्त 2019) है।

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कड़िका 4.7 में भी समान प्रकार के अनियमिततायें दर्शाये गए थे। यद्यपि, लेखापरीक्षा में कर निर्धारण प्राधिकारियों की चूक को इंगित किया गया था, ये अनियमिततायें न सिर्फ निरंतर बनी हुई हैं लेकिन लेखापरीक्षा किए जाने तक पकड़ी भी नहीं गयी।

2.8 केन्द्रीय विक्रय कर (के.वि.क.) अधिनियम के अंतर्गत बगैर संवैधानिक पत्र के पारगमन विक्रय पर कर की छूट को मान्य किया जाना

कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा बिना वैधानिक 'ई-1/सी' फॉर्म जमा किए राशि ₹ 2.31 करोड़ के कर की छूट प्रदाय की गई।

के.वि.क. अधिनियम 1956, पारगमन विक्रय पर कर से छूट को प्रावधानित करता है। छूट का दावा करने के लिए, व्यवसायियों को उक्त विक्रय के समर्थन में वैधानिक 'ई-1/ई-2' तथा 'सी' फॉर्म प्रस्तुत करना अनिवार्य है। 'ई-1/ई-2/सी' फॉर्म के अभाव में छ.मू.सं.क.अ., 2005 एवं के.वि.क. अधिनियम, 1956, में प्रावधानित दर से संबंधित वस्तुओं पर करारोपणीय है। आगे, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अनुसार, घोषणा पत्र 'सी' समर्थित होने पर वस्तुओं के अंतर्राज्यीय विक्रय पर जून 2008 से दो प्रतिशत की दर से करारोपणीय है।

लेखापरीक्षा के दौरान, कुल 3,045 प्रकरणों (स्व-कर निर्धारण प्रकरण 2,328 एवं कर निर्धारण प्रकरण 717) में से 694 प्रकरणों (स्व-कर निर्धारण प्रकरण 404 एवं कर निर्धारण प्रकरण 290) अर्थात् तीन¹² इकाईयों के कुल प्रकरणों के 22.79 प्रतिशत में से पाँच व्यवसायियों के छः स्व-कर निर्धारण प्रकरण अर्थात् नमूना जाँच किये गये प्रकरणों का 0.86 प्रतिशत में लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया कि के.वि.क. अधिनियम 1956 के अंतर्गत पारगमन विक्रय ₹ 85.09 करोड़ के समर्थन में 'ई-1' एवं 'सी' फॉर्म प्रस्तुत नहीं किया गया परन्तु उपरोक्त संव्यहवार पर छूट का दावा किया। वैधानिक पत्रों के आभाव में व्यवसायियों द्वारा चार/पाँच अथवा 14 प्रतिशत की दर से कर का भुगतान किया जाना था। लेकिन निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा वैधानिक विवरणियों की संपूर्णता की जाँच

¹¹ स.आ.-3, रायपुर; वा.क.अ.-9, रायपुर; स.आ.-1, वृत्त-9, रायपुर; वा.क.अ.-8, रायपुर; उपायुक्त, रायपुर; वा.क.अ.-1, रायगढ़; स.आ.-3, दुर्ग एवं स.आ.-4, रायपुर।

¹² वा.क.अ.8, रायपुर; स.आ.-1, वृत्त-9, संभाग -2, रायपुर एवं स.आ.-5, रायपुर

किए बिना कर के भुगतान से छूट मान्य किया गया जिसके फलस्वरूप कर की राशि ₹ 2.31 करोड़ की कम वसूली हुई। इस प्रकार, वैधानिक विवरणियों की संपूर्णता की जाँच जो विभागीय परिपत्र (नवम्बर 2012) के अनुसार अनिवार्य था, करने में निर्धारण प्राधिकारी विफल रहे।

लेखापरीक्षा द्वारा (फरवरी 2019) इंगित किए जाने पर विभाग ने (मार्च 2019) कहा कि चार प्रकरणों में कर की राशि ₹ 1.76 करोड़ की माँग जारी की गई है। अन्य दो प्रकरणों में आगे की कार्रवाई अपेक्षित (अगस्त 2019) है।

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कड़िका 4.8 में भी समान प्रकार की अनियमितता दर्शायी गई थी। यद्यपि, लेखापरीक्षा में कर निर्धारण प्राधिकारियों की चूक को इंगित किया गया था, ये अनियमिततायें न सिर्फ निरंतर बनी हुई है लेकिन लेखापरीक्षा किए जाने तक पकड़ी नहीं गयी।

प्रवेश कर

2.9 कर के गलत दर के अनुप्रयोग से प्रवेश कर की कम वसूली

कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा बाह्य क्षेत्र से स्थानीय क्षेत्र में मालों के प्रवेश पर कर के गलत दर के अनुप्रयोग से प्रवेश कर की राशि ₹ 6.45 करोड़ की कम वसूली।

छत्तीसगढ़ प्रवेश कर अधिनियम (सी.जी.इ.टी.) 1976, यह प्रावधानित करता है कि कोई व्यवसायी इसमें संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर से प्रवेश कर का दायी होगा।

लेखापरीक्षा के दौरान, कुल 3,225 प्रकरणों (स्व-कर निर्धारण प्रकरण 1,678 एवं कर निर्धारण प्रकरण 1,547) में से 1,320 प्रकरणों (स्व-कर निर्धारण प्रकरण 715 एवं कर निर्धारण प्रकरण 605) अर्थात् सात इकाईयों¹³ के कुल प्रकरणों के 40.93 प्रतिशत में से 12 (तीन स्व-कर निर्धारण एवं नौ कर निर्धारण प्रकरण) अर्थात् नमूना जाँच किये गये प्रकरणों का 0.91 प्रतिशत में लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया कि निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा प्रकरण/रिटर्न निर्धारण/दाखिल करते समय प्रवेश कर का सही दर लागू नहीं किया गया। कर निर्धारण प्रकरणों में भी वस्तुओं पर कर का सही दर लागू करने में निर्धारण प्राधिकारी विफल रहे एवं कोई दर लागू नहीं की अथवा निम्न कर दर आरोपित किया गया।

ये सभी प्रकरण यह इंगित करते हैं कि कर निर्धारण प्राधिकारी/व्यवसायी द्वारा प्रकरणों/विवरणियों का निर्धारण/दाखिल करते समय अनुसूचियों तथा अधिसूचनाओं में विनिर्दिष्ट प्रवेश कर की उचित दर लागू नहीं की गयी। फलस्वरूप, प्रवेश कर की राशि ₹ 6.45 करोड़ की कम वसूली हुई।

लेखापरीक्षा द्वारा (फरवरी 2019) में इंगित किए जाने पर विभाग ने (मार्च 2019) कहा कि प्रकरणों में प्रवेश कर की राशि ₹ 10.00 करोड़ (₹ 5.66 करोड़ लेखापरीक्षा अवलोकन से संबंधित) की माँग जारी की गई है। अन्य प्रकरणों में आगे की कार्रवाई अपेक्षित (जुलाई 2019) है।

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कड़िका 4.9 में भी समान प्रकार के अवलोकन दर्शाये गए थे। यद्यपि, लेखापरीक्षा में कर निर्धारण प्राधिकारियों की चूक को इंगित किया गया था फिर भी ये अनियमिततायें न सिर्फ निरंतर बनी हुई है लेकिन लेखापरीक्षा किए जाने तक पकड़ी नहीं गयी।

¹³ स.आ.-9, रायपुर; स.आ.-3, रायपुर; स.आ.-2, दुर्ग; उ.आ., दुर्ग; स.आ., कोरबा; स.आ.-5, रायपुर एवं उ.आ.-4, रायपुर